an>

Title: Need to set up additional revenue courts to provide speedy justice to farmers.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है जहां भूमि की नपाई, कब्जा, चकरोड आदि से संबंधित लाखों मुकदमे तहसील में संचालित न्यायालयों में लंबित हैं। छोटे मुकदमे भी 20 साल तक निर्णित नहीं हो पाते हैं और लगातार तारीख मिलती हैं। उक्त न्यायालयों की प्रक्रिया इतनी अस्पष्ट है कि एक ही मुकदमे में दोनों पक्षों का स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है। एक दिन एक पक्ष में निर्णय होता है और दूसरे दिन पुनः मुकदमा शुरु हो जाता है। उक्त न्यायालयों में प्रति माह वाद निर्णीत करने की न्यूनतम संख्या निर्धारित है, परंतु उक्त कोटा पूर्ण करने के लिए आज मुकदमा तय होता है और कल वही मुकदमा पुनः प्रारम्भ कर दिया जाता है। जिसके कारण किसानों के समय व धन का अपव्यय होता है, साथ ही साथ लम्बे समय तक न्याय न मिल पाने के कारण मानसिक असंतोष भी होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि न्यायिक प्रणाली में सुधार के क्रम में राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाए तथा प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए, जिससे भूमि संबंधी मामलों में किसानों को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके।